निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 09 पटना, बुधवार, 13 फाल्गुन 1936 (श0)
4 मार्च 2015 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	4-5
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	6-6
पूरक	---
पूरक-क	7-18

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना
28 फरवरी 2014

सं० प्र0–8/विविध–03–38/2012–1828(S)—सरकार के आदेशानुसार पटना जिलान्तर्गत बिहटा ROB का नामकरण निम्नवत किया जाता है :–

क्र0 स0	पूर्व नाम	परिवर्तित नाम
1	2	3
1.	बिहटा **ROB**	जननायक कर्पूरी ठाकुर रेलवे उपरि पुल

प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रामप्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
18 फरवरी 2015

सं० 4 (न) निर्वा–01/09–**821—**नगर पंचायत, नौबतपुर (पटना) एवं नगर पंचायत, विक्रम (पटना) का कार्यकाल दिनांक 04.03.2015 को समाप्त हो रहा है;

और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उस नगरपालिका के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है,

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या–11, 2007) की धारा 441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद् द्वारा नगर पंचायत, नौबतपुर (पटना) एवं नगर पंचायत, विक्रम (पटना) के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु 15 मार्च, 2015 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बी0 राजेन्दर, सचिव।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

11 फरवरी 2015

सं0 5नि.गो.वि (8) 02/2014–86 नि0गो0—श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, पदस्थापन की प्रतीक्षा (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना) में, को अगले आदेश तक जिला मत्स्य पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

अधिसूचना
12 फरवरी 2015

सं0–अ0नि0(01)31/2014/स्था0.**133**—बिहार अभियोजन सेवा के निम्नांकित सहायक अभियोजन पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तंभ–4 में अंकित तिथि से सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पद पर सम्पुष्ट किया जाता हैः–

क्र०	सहायक अभियोजन पदाधिकारी का नाम	सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पद पर योगदान की तिथि	सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पद पर सेवा सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4
1	श्री मनोज सिंह	05.01.1999 (अपराह्न)	01.01.2011
2	श्री सुभाष पासवान	09.01.1999	14.03.2013
3	श्री शिवमुनी राम	24.11.2003	14.03.2013
4	श्री बिन्देश्वरी हरिजन	24.11.2003	14.03.2013
5	श्री सत्यनारायण प्रसाद	06.01.1999	14.03.2013

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
कृष्ण मुरारी प्रसाद, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 50–571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

कृषि विभाग

आदेश

20 फरवरी 2015

सं0 पी0पी0एम0–48/2006(पार्ट–III)–1002/कृ0—कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या पी०पी०एम०–48/2006 (पार्ट–III)–972 दिनांक 19.02.2015 द्वारा राज्य किसान आयोग की कार्यावधि दिनांक : 31.03.2016 तक विस्तारित करते हुए आयोग का पुनर्गठन किया गया था। C.W.J.C. No. 2852/2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा तदनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्रांक 255 दिनांक : 19.02.2015 के आलोक में कृषि विभागीय निर्गत अधिसूचना संख्या पी०पी०एम०–48/2006(पार्ट–III)– 972 दिनांक : 19.02.2015 के कार्यान्वयन को स्थगित किया जाता है।

आदेश से,
त्रिपुरारि शरण, प्रधान सचिव।

मुख्य अभियंता का कार्यालय
जल संसाधन विभाग, सिवान।

कार्यालय आदेश

27 जनवरी 2015

का0आ0सं0 1स्था0अनु0–12–101/2014–**07—**समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति **सिवान** के पत्रांक **826/स्था0 दिनांक 25.08.2014** द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति **सिवान** की दिनांक **04.08.2014** की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में **श्री मुन्ना चौधरी, पिता स्व0 रामानुग्रह प्रसाद, भूतपूर्व संग्राहक, सारण नहर प्रमंडल, सिवान** की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान **5200–20200 + ग्रेड पें–1800 (मैट्रिक)** रूपये एवं समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित **अनुसेवक** के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, **बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना** के कार्यालय में दिनांक **20.02.2015**. तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. **स्व0 रामानुग्रंह प्रसाद** के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का दायित्व **श्री मुन्ना चौधरी** पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला **पश्चिम चमपारण** के असैनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर **श्री मुन्ना चौधरी** की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकम्पा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री **श्री मुन्ना चौधरी** से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।

11. उप–सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31.8.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से,
दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 50–571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 297—शपथ पत्र सं०–146, दिनांक 22.01.2010 द्वारा घोषणा करता हूं कि दिनांक 29.01.2010 से मैं दिनेश कुमार राम की जगह सिर्फ दिनेश कुमार के नाम से जाना जाऊंगा।

दिनेश कुमार,
श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, कल्याणपुर (समस्तीपुर),
पिताः–स्व० अनुप लाल राम, ग्रा०–घोड़मोहना,
पो०+थाना–ललमनियां, जिला–मधुबनी।

No. 276—I Kumari Sweta, W/O Sanjay Kumar Diwakar Resident Of B-91, Birla Coloney, Patna decleare that I will be further known as Sweta Diwakar, Affidavit 4541 date 08-12-2014.

KUMARI SWETA.

No. 298—I Aryan S/o Anil Kumar R/o Flat No. 402 Sagar Apartment, Jagriti Nagar, Khajpura, P.O.-B.V. College, P.S.-Rajiv Nagar, Patna. Vide Affidavit No. 9994 dated 14.7.14 shall be known as Aryan Singh.

ARYAN.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 50–571+30-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

समहरणालय, मुजफ्फरपुर
जिला भूमि सुधार प्रशाखा

आदेश
31 जुलाई 2014

सं० 1284 भू०सु०मुज०—श्री देवन्द्र चौधरी तत्कालीन राजस्व कर्मचारी अंचल कांटी को दिनांक 17.10.2008 को निगरानी धावा दल के द्वारा 2100 रु० (दो हजार एक सौ रूपया) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तत्सम्बन्धी सूचना पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा अपने पत्रांक–1277 दिनांक 23.10.2008 से दी गयी। दिनांक 17.10.2008 को निगरानी विभाग द्वारा रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के पत्रांक–2749 दिनांक 20.10.2008 के द्वारा श्री देवेन्द्र चौधरी तत्कालीन राजस्व कर्मचारी कांटी अंचल को निलंबित कर उनकें विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई हेतु प्रस्ताव देने का आदेश अंचल अधिकारी, कांटी को दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, कांटी ने पत्रांक–256 दिनांक 07.05.2009 के द्वारा श्री देवेन्द्र चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर भेजा। पुनः संशोधित प्रपत्र 'क' अनुमंडल पदाधिकारी (पश्चिम) मुजफ्फरपुर के पत्रांक–910 दिनांक 08.09.2009 के द्वारा भेजा गया एक पूरक प्रपत्र 'क' अपर समाहर्त्ता मुजफ्फरपुर के द्वारा दिनांक 23.11.2009 को पूर्व के प्रपत्र 'क' में सम्मिलित किया गया। प्रपत्र 'क' को अनुमोदित कर विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु जिला पदाधिकारी के ज्ञापांक–2838 दिनांक 22.12.2009 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया एवं अंचल अधिकारी, कांटी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री देवन्द्र चौधरी माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर Criminal Misc Case No- 2553/2009 में दिनांक 18.03.2009 को पारित आदेश के आलोक में जमानत पर रिहा होकर दिनांक 22.03.2009 को अंचल कांटी में पुनः योगदान दिये। परन्तु उन्हें निलम्बन से मुक्त नहीं किया गया एवं 60 वर्षो की उम्र पूरी करने के उपरान्त दिनांक 30.04.2013 को वे सेवानिवृत हो गये है। इनके विरूद्ध गठित आरोपों की विवरणी निम्नवत है :–

आरोप सं0–01—श्री देवन्द्र चौधरी तत्कालीन राजस्व कर्मचारी हल्का नं.–08 एवं 09 को निगरानी धावा दल द्वारा **दिनांक** 17.10.2008 को श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता श्री रामाज्ञा सिंह ग्राम–जीअन, थाना करजा, जिला मुजफ्फरपुर से 2100 रू० (दो हजार एक सौ रूपया) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया जिसकी प्राथमिकी निगरानी थाना काण्ड सं.–080/2008 **दिनांक** 18.10.2008 धारा 7/13 (2) सह पठित धारा 13(1) डी.भ्र.नि. अधि. 1988 दर्ज है।

आरोप सं0–02—ग्राम मड़वन खुर्द के श्री वालदेव प्रसाद के मकान के बीच के कमरे में सरकारी दस्तावेज एवं कागजात रखना।

आरोप सं0–03—दाखिल–खारिज वाद सं.–3899 से 3405/2008–09 तक कुल 07 अभिलेख जो श्री विरेन्द्र सिंह का दाखिल–खारिज का वाद है, दिनांक 24.04.2008 को प्रारम्भ कर दिनांक 09.05.2008 को दाखिल–खारिज का शुद्धि पत्र कार्यालय द्वारा निर्गत किए जाने के बाद भी दिनांक 17.10.2008 तक जमाबन्दी का सृजन नहीं करना।

आरोप सं0–04—श्री देवन्द्र चौधरी द्वारा रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने का कार्य एक सरकारी कर्मचारी के व्यवहार के प्रतिकूल है।

श्री देवन्द्र चौधरी तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, कांटी अंचल के द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कारण पृच्छा।—श्री देवन्द्र चौधरी ने दिनांक 23.02.2010 को अनुमंडल पदाधिकरी, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) सह संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इनका कथन है कि दाखिल–खारिज वाद सं.–3399/2008–09 से 3405/2008–09 (लिपिकीय मूल से 4405/2008–09अंकित) में **दिनांक** 09.05.2008 को ही दाखिल खारिज किया गया जिसके फलस्वरूप जमाबन्दी कायम होने के पश्चात् राजस्व रसीद के रूप में राशि प्राप्त की गयी। दूसरे आरोप के संबंध में इनका कहना है कि पूर्व के कर्मचारी के द्वारा ही श्री वालदेव प्रसाद के मकान में कार्यालय खोलकर राजस्व कार्य किया जा रहा था तीसरे आरोप के संबध में इनका कहना है कि दाखिल खारिज वाद सं.–3399/2008–09 से 3405/2008–09 तक कुल 07 अभिलेख के दाखिल खारिज का शुद्धि पत्र प्राप्त होने के पश्चात् राजस्व रसीद बही नहीं रहने के कारण जमाबन्दी का सृजन नहीं किया जा सका। रसीद वही प्राप्त होने के पश्चात् राजस्व रसीद की राशि मो.–3000/–रू (तीन हजार) रूपये के करीब थी, जो आवेदक को मौखिक रूप से बार–बार स्मारित करने के बावजूद भी रसीद की राशि का भुगतान करने में आवेदक टाल–मटोल करते रहे। अंततः रसीद की देय राशि का भुगतान करते समय विजिलेंश से मिलकर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार करा दिया।

उपस्थापन पदाधिकारी –सह– अंचल अधिकरी, कांटी का प्रतिवेदन।—उपस्थापन पदाधिकारी –सह– अंचल अधिकारी कांटी ने अपने पत्रांक–01/मुख्य **दिनांक** 23.02.2010 के द्वारा श्री देवन्द्र चौधरी से संबंधित प्रतिवेदन बिन्दुवार प्रस्तुत किया है, जो निम्न प्रकार है :–

1.	श्री चौधरी को निगरानी धावा दल के द्वारा **दिनांक** 17.10.2008 को पकड़ा जाना।
2.	मड़वन खुर्द के श्री वालदेव प्रसाद के मकान में पूर्व से ही सरकारी कार्य किया जा रहा था।
3.	दाखिल खारिज वाद सं.–3399/2008–09 से 3405/2008–09 तक कुल 07 अभिलेख दिनांक 24.04.2008 से प्रारम्भ कर दिनांक 09.05.2008 को निष्पादित किया गया है।
4.	जहां तक राशि की माँग एवं लेन–देन का प्रश्न है आवेदक को ज्ञात था कि उनका दाखिल–खारिज पूर्व में हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में मामला जब विशेष निगरानी न्यायालय में चल रहा है अतः कार्यहित में उन्हें निलम्बन से मुक्त किया जा सकता है।

संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं मंतव्य।—संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी (पश्चिमी) ने विभागीय कार्रवाई का संचालन कर प्रतिवेदित किया कि आरोप पत्र से स्पष्ट है कि आरोपी श्री देवन्द्र चौधरी को दिनांक 17.10.2008 को निगरानी विभाग द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, उन पर मड़वन खुर्द के श्री वालदेव प्रसाद के मकान के बीच के कमरे में सरकारी दस्तावेज एवं कागजात रखे जाने का आरोप है एवं दाखिल–खारिज वाद सं. –3399 से 3405/2008–09 तक कुल 07 अभिलेख श्री विरेन्द्र सिंह का दाखिल–खारिज दिनांक 09.05.2008 को कार्यालय द्वारा भेजने के बावजूद दिनांक 17.10.2008 तक जमाबन्दी का सृजन नहीं करनें का आरोप है। आरोपी द्वारा कंडिका–03 में उल्लेख किया गया है कि रसीद बही नहीं रहने के कारण जमाबन्दी का सृजन नहीं किया गया है, परन्तु विभागीय निर्देश के आलोक में राजस्व कर्मचारी को शुद्धि पत्र प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर जमाबन्दी कायम कर अनुपालन प्रतिवेदन अंचल कार्यालय को समर्पित करना है। साथ ही आरोपी विजिलेंश पी०एस० नं.–80/2008 स्पेशल केश नं.–57/2008 में आरोपी है तथा आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया में अभियुक्त बनाया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में विभागीय कार्यवाही में कोई टिप्पणी करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है साथ ही उपस्थापन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी, कांटी द्वारा आरोपी को निलम्बन से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है। संचालन पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं.–18–03–010/92/107 पटना दिनांक 18.08.1978 एवं अन्य कई पत्रों के अनुसार किसी भी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारी/कर्मचारी को दो वर्षो से अधिक अवधि तक निलम्बन में नहीं रखा जा सकता है, इस आधार पर आरोपी श्री देवेन्द्र चौधरी तत्कालीन राजस्व कर्मचारी को निलम्बन से मुक्त कर विभागीय कार्यवाही को विजिलेश पी.एस. नं.–08/2008 स्पेशल केश नं.–57/2008 के निष्पादन तक स्थगित रखने की अनुशंसा की गयी।

श्री देवेन्द्र चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के उपरान्त प्रस्तुत प्रतिवेदन से असहमत होकर सम्पूर्ण अभिलेख संलग्न करते हुए समाहर्त्ता ने ज्ञापांक 257 दिनांक 28.01.2014 के द्वारा अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त कर विभागीय कार्यवाही का पुनः संचालन करने का आदेश दिया। चूकि आरोपिती श्री देवेन्द्र चौधरी राजस्व कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके है अतः विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) के तहत् स्वतः परिवर्तित किया गया।

प्राप्त आदेश के अनुपालान में पुर्नसंचालित विभागीय कार्यवाही के उपरान्त अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच) के द्वारा उनके पत्रांक–64 दिनांक 19.03.2014 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

श्री देवेन्द्र चौधरी, सेवानिवृत राजस्व कर्मचारी, कांटी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच) द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं मन्तव्य।–अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच) ने श्री देवेन्द्र चौधरी के स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी –सह–अंचल अधिकारी कांटी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का विश्लेषण कर प्रतिवेदित किया है कि श्री चौधरी को पत्रांक 28/वि.जा. दिनांक 05.02.2014 के द्वारा गठित आरोप प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए पत्र प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने हेतु आदेश दिया गया। साथ ही उपस्थापन पदाधिकारी –सह– अंचल अधिकारी, कांटी को संबंधित साक्ष्य एवं कागजात के साथ निर्धारित सुनवाई की तिथि पर विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया। प्रथम आरोप के बचाव में श्री चौधरी अपने स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया है। सुनवाई के क्रम में पुछे जाने पर उन्होंने बतलाया है कि परिवाद श्री विरेन्द्र सिंह के द्वारा लगान की

रसीद कटवाने के क्रम में राशि देते वक्त निगरानी धावा दल से पकड़वा दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि लगान रसीद की राशि कितनी थी तथा निगरानी धावा दल के द्वारा रिश्वत स्वरूप ली गयी 2100 रू (दो हजार एक सौ रूपया) क्यों बरामद हुई तो वे उत्तर देने में असमर्थ रहे। उपस्थापन पदाधिकारी ने प्रथम आरोप के संदर्भ में जानकारी दी कि दिनांक 17.10.2008 को निगरानी विभाग के धावा दल द्वारा श्री चौधरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाना अपने आप में स्वयं सिद्ध आरोप है। द्वितीय आरोप के बचाव में श्री चौधरी का कहना है कि उनके योगदान के पूर्व से ही श्री वालदेव प्रसाद के मकान में राजस्व कर्यालय चलाया जा रहा था। कार्यालय के दस्तावेज एवं कागजात वहां रखे जा रहे थे क्योंकि वहां पूर्व से कोई सरकारी भवन नहीं था। उपस्थापन पदाधिकारी का इस संबंध में कथन है कि उक्त क्षेत्र में श्री वालदेव प्रसाद के मकान में अपना राजस्व कार्यालय खोलने के संबंध में मांगी गयी अनुमति का कोई साक्ष्य कांटी, अंचल में उपलब्ध नहीं है। अर्थात् श्री चौधरी की स्वीकारोक्ति है कि श्री वालदेव प्रसाद के मकान में राजस्व कार्यालय संचालित था। तृतीय आरोप के बचाव में श्री चौधरी का कहना है कि दाखिल खारिज वाद सं0 3399 से 3405/2008–09 तक कुल 07 अभिलेख दिनांक 24.04.2008 को आरंभ कर दिनांक 09.05.2008 तक निष्पादित किया गया है। इस प्रकार दिनांक 17.10.2008 को रिश्वत मांगने का आरोप मिथ्या एवं आधारहीन है। सुनवाई के क्रम में जब श्री चौधरी से पूछा गया कि उन वादों के निष्पादन के उपरान्त दिनांक 09.05.2008 को जब शुद्धि पत्र निर्गत कराया गया था तो आपने जमाबन्दी क्यों नहीं कायम कर दी थी तो वे उत्तर देने में असमर्थ रहे। उनके अनुसार रसीद बही समाप्त हो गयी थी, किन्तु अपने कथन के समर्थन में रसीद बही कार्यालय से मांगने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इस संबंध में उपस्थापन पदाधिकरी, अंचल अधिकारी, कांटी का कहना है कि दाखिल–खारिज वाद सं.–3399/2008–09 से 3405/2008–09 तक कुल सात अभिलेख, जो श्री विरेन्द्र सिंह परिवादी से संबंधित है, दिनांक 24.04.2008 से आरम्भ कर दिनांक 09.05.2008 को इन दाखिल खारिज वादों का शुद्धि पत्र निर्गत किया गया था, परन्तु जमाबंदी का सृजन दिनांक 17.10.2008 तक नहीं किया गया। दाखिल–खारिज वादों की स्वीकृति के बाद लगभग 05 माह तक जमाबंदी का सृजन श्री चौधरी के द्वारा नहीं किया जाना उनकें गलत मंशा को दर्शाता है। साथ हीं आवेदक के द्वारा लगाये गए आरोप को प्रमाणित करता है। श्री चौधरी के द्वारा सुनवाई में अपने स्पष्टीकरण में लगान रसीद बही नहीं होने के कारण जमाबंदी का सृजन नहीं कर पाने का कारण बताना दिग्भ्रमित करने वाला बहाना मात्र है। इस संबंध में उपस्थापन पदाधिकारी का कहना है कि श्री चौधरी के द्वार लगान रसीद बही की मांग से संबंधित समर्पित किये गए आवेदन पत्र के संदर्भ में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। लगान रसीद काटना एवं जमाबंदी पंजी में जमाबंदी कायम करना अलग–अलग विषय है। उक्त स्थिति में शुद्धि पत्र निर्गत होने की तिथि 09.05.2008 की तुरन्त बाद ही जमाबंदी का सृजन कर लेना चाहिए था। अतः इनके विरूद्ध गठित तीसरा आरोप भी सत्य है। पूरक आरोप के बचाव में श्री चौधरी ने स्पष्ट रूप कुछ भी अंकित नहीं किया है।

उपरोक्त तथ्यों के विशलेषण से स्पष्ट है कि श्री चौधरी के विरूद्ध गठित प्रथम आरोप स्वयं सिद्ध है, द्वितीय आरोप में उनकी स्वीकारोक्ति है कि श्री बालदेव प्रसाद के मकान में राजस्व कार्यालय संचालित था। तृतीय आरोप में भी श्री चौधरी बताने में असफल रहे कि दाखिल–खारिज के उपरोक्त कुल 07 अभिलेखों में दिनांक 09.05.2008 को शुद्धि पत्र हस्तगत कराये जाने के बावजूद भी निगरानी के धावा दल के द्वारा दिनांक 17.10.2008 को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के दिन तक जमाबंदी क्यों नहीं कायम की गई थी। अपर समाहर्त्ता, (विभागीय जांच) ने प्रतिवेदित किया है कि यह उनके गलत मंशा में प्रतिबिम्बित करता है। जहां तक श्री चौधरी के द्वारा अपने बचाव में यह कहना कि अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी मुजफ्फरपुर ने जांच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध लगाये गए आरोप को असत्य पाया है, आधारहीन, मिथ्या एवं भ्रामक है तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी ने अपने जांच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध विशेष निगरानी न्यायालय मे वाद सं.–57/2008 विचारण में होने के कारण विभागीय कार्यवाही में कोई टिप्पणी करना कोई उचित नहीं बताया है। किन्तु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं0 2324 दिनांक 10.07.2007 के अनुसार विभागीय कार्यवाही स्वतंत्र रूप से चलाये जाने का निदेश है तथा फौजदारी मुकदमें से प्रभावित नहीं है एवं विभागीय कार्यवाही में स्वतंत्र रूप से निर्णय लिये जाने का निदेश है। इस प्रकार इनका मंतव्य है कि श्री देवन्द्र चौधरी सेवानिवृत राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में लगाये गए आरोप परिस्थिति जन् साक्ष्यों से प्रमाणित होते है। इनका आचरण सरकारी सेवक आचरण नियमावली के क 3(I)(i)(ii)(iii) प्रतिकूल है।

संचालन पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरांत श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा इस कार्यालय के पत्रांक–736/भू.सु. दिनांक 06.06.2014 के द्वारा एक पक्ष के अन्दर देने का आदेश दिया गया। इसके आलोक में श्री देवन्द्र चौधरी राजस्व कर्मचारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 20.06.2014 को समर्पित किया गया। जिसमें श्री चौधरी का कहना है कि :–

1. इन्होनें किसी विरेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता रामज्ञा सिंह से कोई रिश्वत कभी नहीं मांगा एवं श्री विरेन्द्र प्रसाद सिंह को पहचानते भी नहीं है। इनहें साजिश के तहत फसाया गया है।
2. वर्तमान जांच से पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर के द्वारा मुझ पर लगया गया सभी आरोपों को असत्य पाया गया है।
3. माननीय अनुमंडल पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को प्रेषित पत्र पत्रांक–01/मुज. दिनांक 23.02.2010 के कंडिका–4 में अंचल अधिकारी, कांटी ने उल्लेख किया है कि जहां तक राशि की मांग एवं लेने देन का प्रश्न है। आवेदक (विरेन्द्र सिंह) को ज्ञात था कि उनका दाखिल–खारिज पूर्व में ही हो चुका है। ऐसी परिस्थिति मे मामला न्याय हेतु विशेष निगरानी न्यायालय में चल रहा है।
4. जब मामला 57/2008 विशेष निगरानी न्यायालय में चल रहा है तब समानंतर प्रक्रिया या मुकदमा

चलाना नैसिर्गक न्याय के विरूद्ध है।

5. विरेन्द्र सिंह के दस्तावेजों का जमाबंदी न किये जाने के संबंध में इनका कहना है कि दिनांक 17.10.2008 को जमाबंदी पुस्तिका कांटी अंचल से निर्गत नहीं की गई थी, जिसके कारण जमाबंदी नहीं की जा सकी।

आरोप पत्र 'क' में गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन एवं मंतव्य से स्पष्ट है कि श्री चौधरी ने आरोपों के विरूद्ध कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से 2100 रू (दो हजार एक सौ) रूपयें रिश्वत लेने एवं रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाने की घटना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। स्पष्टतः श्री चौधरी पर लगाये गए आरोप शिद्ध होते है सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम 3(1) में स्पष्ट उलेख है कि सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी पूर्णतः शील एवं निष्ठा का पालन करेंगे। 3 (iii) में उल्लेखित है कि सरकारी सेवक ऐसा कोई काम नहीं करेगें जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो। परन्तु श्री देवेन्द्र चौधरी, पिता गन्नी लाल चौधरी, ग्राम छाजन, थाना कुढ़नी जिला मुजफ्फरपुर के द्वारा निष्ठा का हनन हुआ है, जो सरकारी सेवक के लिए प्रतिकूल आचरण का द्योतक है। यह आरोप घोर कदाचार की कोटि में आता है। चूंकि श्री देवेन्द्र चौधरी राजस्व कर्मचारी के पद से दिनांक 30.04.2013 को सेवानिवृत हो चुके है, तथा आरोपित पर लगाया गया आरोप घोर कदाचार की कोटि में आता है जिसके लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43बी के अन्तर्गत दण्ड का प्रावधान है।

श्री देवन्द्र चौधरी सेवानिवृत राजस्व कर्मचारी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी सह अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच) द्वारा जांच प्रतिवेदन तथा निगरानी काण्ड संख्या 80/2008 दिनांक 18.10.2008 में आरक्षी निरीक्षक सह अनुसांधानकर्ता, निगरानी अन्वेषण ब्यूरों पटना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त आरोपित के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होता है जो बिहार सरकारी सेवा आचार संहिता नियावली 1976 के नियम 3 के प्रतिकूल है। श्री चौधरी पर लगाये गये आरोप घोर कदाचार की कोटि में आता है। श्री चौधरी दिनांक 30.04.2013 को सेवानिवृत हो चुके है। फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43बी. में निहित प्रावधान के अनुसार मैं **अनुपम कुमार भा०प्र०से० जिलाधिकारी सह समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर** आदेश निर्गमन की तिथि से श्री देवेन्द्र चौधरी के पेंशन की सम्पूर्ण राशि जीवन पर्यन्त रोकन का दण्ड देता हूँ, जिससे कि सेवा में बने रहने की स्थिति में इस कृत के लिए उन्हें बर्खास्तगी का दण्ड मिलता। श्री देवेन्द्र चौधरी से सम्बन्धित पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :–

1.	**कर्मचारी का नाम**	:–	**श्री देवन्द्र चौधरी**
2.	**पदनाम**	:–	**राजस्व कर्मचारी**
3.	**पिता का नाम**	:–	**गनीलाल चौधरी**
4.	**नियुक्ति की तिथि**	:–	**01.04.1976**
5.	**सेवानिवृति की तिथि**	:–	**30.04.2013**
6.	**स्थायी पता**	:–	**ग्राम छाजन, थाना–कुढ़नी, जिला मुजफ्फरपुर**

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, जिला दण्डाधिकारी–सह–
समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर।

---

31 जुलाई 2014

सं० 1285 भू०सु०मुज०—सीताराम ठाकुर, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, मुशहरी को दिनांक 04.05.2007 को निगरानी धावा दल द्वारा 2500.00 (दो हजार पांच सौ) रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तत्संबंधी सूचना अंचल अधिकारी, मुशहरी के ज्ञापांक 477 दिनांक 05.05.2007 एवं आरक्षी उप महानिरीक्षक निगरानी विभाग अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक एस.आर. 055/07/निगरानी 521 अ.शा. दिनांक 09.05.2007 के द्वारा भी दी गयी। श्री सीताराम ठाकुर तत्कालीन राजस्व कर्मचारी को इस कार्यालय के ज्ञापांक 1797/भू.सु.मुज. दिनांक 17.09.2007 के द्वारा निलंबित किया गया।

श्री सीताराम ठाकुर के विरूद्ध अंचलाधिकारी, मुशहरी द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित किया गया जिसके आलोक में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश दिनांक 11.04.2008 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, मुशहरी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया एवं अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1045 दिनांक 12.04.2008 के द्वारा गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' की दो प्रतियाँ संलग्न करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता पूर्वी, मुजफ्फरपुर को विभागीय कार्यवाही संचालन की दायित्व दी गई। श्री ठाकुर जमानत पर रिहा हुए एवं पुनः मुशहरी अंचल में योगदान दिये। योगदान देने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 9 (3) एवं कार्मिक विभागीय पत्रांक 1821 दिनांक 23.05.2007 के आलोक में उनके योगदान को स्वीकृत करते हुए कार्यालय आदेश ज्ञापांक 2822/भू.सु.मुज. दिनांक 29.10.2008 के द्वारा उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया एवं श्री सीताराम ठाकुर को मोतीपुर अंचल में राजस्व कर्मचारी के पद पर पदस्थापित किया गया। श्री सीताराम ठाकुर 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के उपरान्त दिनांक 31.01.2011 को सेवानिवृत हो गये। समाहर्त्ता मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 200/भू.सु.मुज. दिनांक 28.01.2014 द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 3448 दिनांक 02.12.

2006 की कंडिका 3(ग) के आलोक में श्री सीताराम ठाकुर राजस्व कर्मचारी मोतीपुर अंचल मुजफ्फरपुर को दिनांक 31.01.2011 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप उनके उपर पूर्व संचालित विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली 43(बी) के तहत परिवर्तित किया गया।

इनके विरूद्ध गठित आरोपों की विवरणी निम्नवत हैः–

आरोप संख्या–01—दिनांक 04.05.2007 को श्री रमेश राय, पिता स्व. नारायण राय, ग्राम डुमरी, थाना सदर, जिला मुजफ्फरपुर से दाखिल खारिज करने के लिए 2500.00 (दो हजार पांच सौ) रूपये रिश्वत लेते निगरानी अन्वेषण ब्यूरों के गठित धावादल ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जिसकी प्राथमिकी निगरानी थाना काण्ड संख्या 058/2007 दिनांक 04/05/07 अधीन धारा 7/13(2) सह पठित धारा 13(1) डी.म.नि.अधि. 1988 दर्ज है।

आरोप संख्या –02—इनका आचरण बिहार सरकार सेवा नियमावली 1976 की धारा–3(1)(2) के विपरीत है।

आरोपित श्री सिताराम ठाकुर के द्वारा संचालित संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कारण पृच्छा—श्री सिताराम ठाकुर ने संचालन पदाधिकारी –सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता पूर्वी के समक्ष दिनांक 15.10.2008 को लिखित उत्तर दाखिल किया। जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि उन्हें गलत तरीके स फसाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर वाद सं.–Criminal Misc Case No-17974/2008 में दिनांक 21.05.2008 को पारित आदेश के आधार पर निगरानी न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2008 को जमानत पर रिहा होकर पुनः मुशहरी अंचल में योगदान दिये। श्री ठाकुर ने अपने कारण पृच्छा में अंकित किया है कि परिवादी श्री रमेश राय द्वारा उनकें विरूद्ध लगाये गए आरोप के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था। श्री रमेश राय से निगरानी विभाग के द्वारा कोई लिखित सम्पुष्टि भी प्राप्त नहीं की गई एवं शपथ पत्र भी नहीं लिया गया। श्री रमेश राय द्वारा लगाया गया आरोप दुर्भावना से प्रेरित एवं अवैद्यानिक है।

संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेन एवं मंतव्य—संचालन पदाधिकारी–सह–भू.सु., मुजफ्फरपुर पूर्वी ने ज्ञापांक–259 दिनांक 31.01.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरांत जांच प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमें दिनांक 04.05.2007 को श्री रमेश राय पिता–नारायण राय, ग्राम–डुमरी, थाना–सदर, जिला–मुजफ्फरपुर से श्री सिताराम ठाकुर के द्वारा दाखिल–खारिज करने के लिए–2500 रू (पच्चीस सौ रूपयें) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप की पुष्टि की गई है। संचालन पदाधिकरी–सह–उप समाहर्त्ता भूमि सुधार मुजफ्फरपुर पूर्वी द्वारा आरोपी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई में जांचोपरान्त दिनांक 29.12.2008 को जांच प्रतिवेदन अभिलखित किया गया है। इन्होंने पत्रांक–259/भू.सु. मुजफ्फरपुर पूर्वी दिनांक 31.01.2014 के द्वारा संचालन अभिलेख की छायाप्रति अवलोकनार्थ भेजा है। पुनः पत्रांक–785 दिनांक 06.06.2014 को मूल संचालन अभिलेख प्रेषित किया है। संचालन पदाधिकारी ने अपने मंतव्य में अंकित किया है कि श्री ठाकुर का उत्तर संतोषजनक नहीं है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा परिवाद कर्त्ता श्री रमेश राय का दिनांक 02.05.2007 के आवेदन पत्र की छायाप्रति दाखिल की गई है। जिसमें प्र० क्षेत्र पदाधिकारी मंत्रिमंडल निगरानी विभाग मुजफ्फरपुर के द्वारा श्री रमेश राय के आरोपों के सत्यापन का आदेश आरक्षी श्री चितरंजन चौधरी को दिया गया। दिनांक 03.05.2007 को चितरंजन चौधरी के द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन दिया गया जिसमें यह अंकित है कि मझौलिया रोड स्थित कब्रिस्तान के दक्षिण ऊँचे चाहरदीवारी में अनधिकृत तरिकें से राजस्व कर्मचारी कार्यालय चला रहे है तथा 2500 (पच्चीस सौ) रूपयें के मांग की पुष्टि की गई। राजस्व कर्मचारी श्री ठाकुर के द्वारा दाखिल–खारिज हेतु अवैद्य राशि मांगनें एवं सत्यापन में इसकी पुष्टि हो जाने, तदोपरान्त धावा दल के द्वारा पूर्व से चिन्हित रूपया मो.–2500 रू (पच्चीस सौ रूपया) रिश्वत लेते पकड़ा जाना एवं जप्त किया जाना परिवाद कर्त्ता के द्वारा लगये गये अरोप की पुष्टि करता है। आरोप के सभी स्वतंत्र गवाहों को पक्ष रखने के लिए सूचना दी गई परन्तु कोई गवाह उपस्थित नहीं हुए। स्पष्टतः किसी गवाह के द्वारा आरोप को अस्वीकार नही किया गया। श्री ठाकुर के द्वारा अन्य कोई साक्ष्य अथवा कागजात उपस्थापित नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध हो सकें कि उन पर लगाय गये आरोप बेबुनियाद है। धावा दल के द्वारा जिस स्थल को राजस्व कर्मचारी श्री सिताराम ठाकुर के कार्यालय के रूप में उपयोग में लाया जा रहा था, वह हल्का कार्यालय के लिए न तो स्वीकृत है, और न सक्षम प्राधिकार के द्वारा उक्त स्थल पर कार्यालय चलाने का कोई आदेश प्राप्त है। अनधिकृत रूप से चलाये जा रहे कार्यालय परिवाद कर्त्ता के आरोप को सम्पुष्ट करता है। संचालन पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता मुजफ्फरपुर पूर्वी ने प्रतिवेदन में लिखा है कि श्री सीताराम ठाकुर तत्कालीन राजस्व कर्मचारी का आचरण गैर जिमेदारआना, अनुशासनहीन तथा सरकार कर्मचारी के आचरण के प्रतिकूल है, जो घोर अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी ने प्रतिवेदन में अंकित किया है कि श्री सिताराम ठाकुर राजस्व कर्मचारी पर लगाये गए प्रपत्र 'क' में दोनो आरोपों की पुष्टि होती है।

द्वितीय कारण पृच्छा—श्री सीताराम ठाकुर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई के फलाफल के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक–380/भू.सु.मुज. दिनांक 11.02.2014 के द्वारा आरोपी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

द्वितीय कारण पृच्छा का श्री सिताराम ठाकुर का उत्तर—श्री सीताराम ठाकुर ने दिनांक 24.02.2014 को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया। इनके द्वारा कहा गया कि उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं.–'058/2007 दिनांक 04.05.2007 को अंकित किया गया था एवं उन्हें गिरफ्तार कर खुदी राम बोस स्मारक कारागृह में भेज दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा–Criminal Misc Case No-17974/2008 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2008 की उक्त कारागृह से जमानत पर रिहाई के उपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–09(3)(1) के आलोक में दिनांक 29.05.2008 को अंचल कार्यालय मुशहरी मुजफ्फरपुर में उन्होंने योगदान किया।

इन्होंने यह भी अंकित किया है कि जिलाधिकारी के ज्ञापांक–2822 दिनांक 29.10.2008 के द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त कर मोतीपुर अंचल में पदास्थापित किया गया। श्री ठाकुर ने द्वितीय कारण पृच्छा में अंकित किया है कि दिनांक 11.04.2008 को उनकें विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित किया गया। जिसे अंचल कार्यालय मुशहरी के द्वारा ज्ञापांक–3078 दिनांक 08.09.2008 से उन्हें दिनांक 11.09.2008 को प्राप्त कराया गया है। जिसके आलोक में इन्होंने अभ्यावेदन दिनांक 14.10.2008 को संचालन पदाधिकरी कार्यालय में प्राप्त करा दिया था। बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–4010/2006 का 02178 दिनांक 28.02.2007 के आलोक में अनुशासन प्राधिकार द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई का विनिश्चय/आरोप पत्र साक्ष्य सहित 2 माह के अन्दर आरोपित सरकारी सेवक को भेजा जाना था, परन्तु कुछ भी इन्हें प्राप्त नहीं कराया गया एवं नियम–17(3) का अनुपालन नहीं हुआ इन्होंने यह भी उल्लेखित किया है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अनुसार विभागीय कार्रवाई संपन करने की अवधि मात्र 6 माह निर्धारित की गई है। श्री ठाकुर ने अंकित किया है कि बिहार सरकार की सेवा में रहते हुए वह दिनांक 31.01.2011 को सरकारी सेवा से निवृत हो चुके है। इनका कहना है कि संचलान पदाधिकरी के द्वारा अभिलिखित तथ्यों पर भी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है एवं उनकें दुषित मानसिकता के कारण लिखित उत्तर को संतोषजनक नहीं पाया गया है। श्री ठाकुर ने अपने उत्तर में यह यह भी अंकित किया है कि किन स्वतंत्र साक्षियों को अपना पक्ष रखने की नोटिस किस तिथि को निर्गत की गई है एवं किस तिथि को साक्षियों को नोटिस का तामिला कराया गया है यह भी उल्लेखित नहीं है। श्री ठाकुर का यह भी कथन है कि दिनांक 14.10.2008 को उनके द्वारा लिखित उत्तर दिये जाने के बाद भी संचालन पदाधिकारी के द्वारा अगली सुनवाई की तिथि की कोई सूचना इन्हें नहीं दी गई। इन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि संचालन पदाधिकरी के द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है एवं इनकें विरूद्ध की गई विभागीय कार्रवाई कालवाधित हो चुकि है। इन्होंने बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी.) के प्रावधान के तहत इस कार्रवाई को न्यायहित में समाप्त करते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया है। इन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि चुकि निगरानी विशेष न्यायालय पटना में मुकदमा चल रहा है। अतः मुकदमा के निष्पादन के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए।

आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित आरोप संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं आरोपी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि आरोप पत्र में गठित दोनों आरोपो से मुक्त करने हेतु कोई ठोस साक्ष्य श्री ठाकुर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री सीताराम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उनकें द्वारा 2500/–रू (पच्चीस सौ रूपया) रिश्वत बतौर लेने एवं रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने की घटना को अस्वीकार करने से संबंधित कोई साक्ष्य अथवा कथन स्पष्टीकरण में अंकित नहीं किया गया है। जहां तक स्वतंत्र गवाहों के नाम संचालन पदाधिकारी द्वारा निर्गत पत्र का प्रश्न है, इसके संबंध में संचालन पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता मुजफ्फरपुर पूर्वी द्वारा प्रेषित विभागीय कार्रवाई से संबंधित मूल अभिलेख में संलग्न पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वतंत्र गवाहों, श्री सहदेव राय, पिता रामअशीष राय, निवासी ग्राम–कुढ़नी एवं मोहम्मद नईम, पिता स्व. मो. सलीम, ग्राम–माधोछपरा के नाम से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता मुजफ्फरपुर पूर्वी के द्वारा उनकें पत्रांक–1398 दिनांक 19.11.2008 से सूचना दी गई थी। उक्त सूचना में सुनवाई की तिथि दिनांक 05.12.2008 अंकित किया गया था। अभिलेख में दिनांक 05.12.2008 को यह उललिखित किया गया है कि दिनांक 05.12.2008 तक कोई गवाह उपस्थित नहीं हुए।

श्री सीताराम ठाकुर ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा में भी 2500 रू (पच्चीस सौ रूपया) रिश्वत लेने की बात को खंडित नहीं किया है। निगरानी धावा दल द्वारा आरोपी को पच्चीस सौ रूपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। धावा दल के द्वारा जिस स्थल को राजस्व कर्मचारी सीताराम ठाकुर के कार्यालय के रूप में पाया गया है, वह स्थान भी हल्का कार्यालय के रूप में स्वीकृत नहीं है अथवा कार्यालय चलाने हेतु किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा आदेशित स्थल नहीं है। अनाधिकृत तरिके से चलाये जा रहें। कार्यालय भी परिवाद कर्त्ता के आरोपों की पुष्टि करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनो आरोप स्वतः सिद्ध है। सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी पूर्णतः शील निष्ठा का पालन करेंगे। 3(iii) में उल्लेखित है कि सरकारी सेवक ऐसा कोई काम नही करेंगे, जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो। परन्तु श्री सीताराम ठाकुर, पिता श्री हीरा ठाकुर, ग्राम–ढोढ़ी, थाना–कुढ़नी, जिला–मुजफ्फरपुर के द्वारा निष्ठा का हनन हुआ है जो सरकारी सेवक के लिए प्रतिकूल आचरण का द्योतक है। यह आरोप घोर कदाचार की कोटि में आता है। चुकि श्री सीताराम ठाकुर राजस्व कर्मचारी के पद से दिनांक 31.01.2011 को सेवानिवृत हो चुके है। अतः इनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी.) के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। आरोपित कर्मी श्री सीताराम ठाकुर राजस्व कर्मचारी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकरी –सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर पूर्वी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन, निगरानी थाना कांड सं.–058/2007 पर सम्यक् रूप से विवेचना के उपरांत अरोपित श्री सीताराम ठाकुर के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होते है। अतः श्री सीताराम ठाकुर तत्कालीन राजस्व कर्मचारी मोतीपुर अंचल जो दिनांक 31.01.2011 को सेवानिवृत हो चुके है, को बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम 43(बी.) में निहित प्रावधाना अनुसार मैं अनुपम कुमार भा०प्र०से० जिलाधिकारी –सह– समाहर्त्ता मुजफ्फरपुर आदेश निर्गमन की तिथि से पेंशन की संपूर्ण राशि जीवन पर्यन्त रोकने का दण्ड देता हूँ, जिससे कि सेवा में बने रहने की स्थिति में इस कृत के लिए उन्हें बर्खास्तगी का दण्ड मिलता। श्री सीताराम ठाकुर से संबंधित पूर्ण विवरण निम्नप्रकार है।

1.	कर्मचारी का नाम	:–	श्री सीताराम ठाकुर
2.	पद नाम	:–	राजस्व कर्मचारी/सेवानिवृत
3.	पिता का नाम	:–	श्री हीरा ठाकुर

4.	जन्म तिथि	:–	17.01.1951
5.	नियुक्त की तिथि	:–	23.01.1981
6.	स्थायी पता	:–	ग्राम–ढोढ़ी, थाना–कुढ़नी, जिला–मुजफ्फरपुर।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, जिला दण्डाधिकारी–सह–
समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

27 जनवरी 2015

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 129/2014–52 नि0गो0—माननीय विभागीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक 09.10.2014 को पशु चिकित्सालय, हसनपुर, समस्तीपुर का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें डा0 जागेश्वर लाल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, हसनपुर, समस्तीपुर कर्त्तव्य से अनुपस्थित पाये गये एवं स्थानीय लोग द्वारा भी डा0 लाल के विरूद्ध शिकायत की गयी।

2. उक्त आलोक में डा0 लाल से विभागीय पत्रांक 811 नि0गो0 दिनांक 26.11.2014 के द्वारा एक सप्ताह के अंतर्गत स्पष्टीकरण की माँग की गयी एवं पत्रांक 859 नि0गो0 दिनांक 15.12.2014 तथा 888 नि0गो0 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा स्मारित किया गया। उक्त के बावजूद डा0 लाल से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा, जिससे स्पष्ट है कि डा0 लाल द्वारा विभागीय आदेश की भी अवहेलना की गयी है।

3. उक्त प्ररिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने एवं विभागीय आदेश की अवहेलना किये जाने संबंधी आरोपों के लिए डा0 जागेश्वर लाल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, हसनपुर, समस्तीपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में डा0 लाल का मुख्यालय क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, पुर्णियाँ का कार्यालय होगा।

4. निलंबन अवधि में डा0 लाल को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. मुख्यालय आने–जाने के लिए डा0 लाल को किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

6. डा0 लाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जायेगी एवं आरोप पत्र अलग से संसूचित किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

---

3 मार्च 2015

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 113/2014–66 नि0गो0—डा0 सुनील कुमार शाही, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (पशु स्वास्थ्य), पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को बाढ़ प्रभावित जिलों में एम्बुलेटरी भान का परिचालन प्रारंभ नहीं कराने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–758, नि0गो0 दिनांक 24.10.2014 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

2. डा0 सुनील कुमार शाही के निलंबन की अवधि 03 माह से अधिक होने के उपरांत सरकार द्वारा मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत डा0 शाही को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः उक्त निर्णय के आलोक में डा0 सुनील कुमार शाही को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। डा0 शाही को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान देने हेतु निदेशित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि के संबंध में अंतिम रूप से बाद में निर्णय लिया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

29 जनवरी 2015

सं0 2 अ0प्र0–2–7/2014–333––श्री योधन चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा पथ प्रमंडल, किशनगंज के पदस्थापन काल में अमौर–बहादुरगंज पथ निर्माण कार्य में अनियमितता के लिए पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 1235 (एस) दिनांक 02.02.2011 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री चौधरी के पत्रांक 794 अनु0 दिनांक 12.11.2011 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा पथ निर्माण विभाग द्वारा की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोंपरांत इन्हें असंचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्वि पर रोक का दंड अधिरोपित करने हेतु अभियंताओं के कैडर विभाजन के पश्चात पथ निर्माण विभाग द्वारा संचिका इस विभाग को स्थानातंरित कर दी गयी।

श्री योधन चौधरी, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (पदस्थापन की प्रतिक्षा में) की सेवा अधीक्षण अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 390–सह–पठित ज्ञापांक 391 दिनांक 13.01.2015 द्वारा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सौपी गयी है।

अतएव श्री योधन चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोंपरांत इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका 14(iv) के तहत अंसचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्वि पर रोक का दंड अधिरोपित किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

27 जनवरी 2015

सं0 2 अ0प्र0–2–14/2014–287––श्री संत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बारसोई (कटिहार) द्वारा नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ के पदस्थापन काल में विभिन्न योजनाओं में बरती गयी अनियमितता के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र प्रपत्र'क' के आलोक में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2694(एस) दिनांक 04.04.2013 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री कुमार के पत्रांक 376 ले0 दिनांक 26.04.2013 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा पथ निर्माण विभाग द्वारा की गयी, जिसमें प्राप्त स्पष्टीकरण पर निर्णय के पूर्व भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ से कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्ट मंतव्य/प्रतिवेदन की मांग की गयी। इसी बीच अभियंताओं के कैडर विभाजन के पश्चात पथ निर्माण विभाग द्वारा संचिका इस विभाग को स्थानातंरित कर दी गयी।

कार्यपालक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ द्वारा श्री संत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभिंयता, भवन प्रमंडल, नालंदा के विरूद्व लगाये गये आरोपों के संदर्भ में बिन्दुवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसकी समीक्षोपरांत श्री संत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बारसोई (कटिहार) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका 14(क) के तहत आरोप वर्ष 2012–13 के लिये निन्दन की सजा अधिरोपित की जाती है, जो आरोप वर्ष 2012–13 को छोड़कर अगले तीन वर्षों यथा– 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 तक प्रभावी होगा।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

23 जनवरी 2015

सं0 3 अ0प्र0–1–71/2013–277––श्री उमेश कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, बेनीपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विरौल के विरूद्व दरंभगा जिलान्तर्गत बेनीपुर प्रखंड स्थित शिवराम कब्रिस्तान घेराबंदी कार्य में हुए गबन के संबंध में निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

2. जॉच प्रतिवेदन के अनुसार श्री उमेश कुमार के विरूद्व आरोप पत्र प्रपत्र'क' गठित किया गया। जिसमें श्री कुमार को पॉच आरोपों के लिए दोषी मानते हुए विभागीय पत्रांक 1812 अनु0 दिनांक 09.05.2013 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. श्री उमेश कुमार के पत्रांक शून्य दिनांक 28.10..2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षोपरांत आरोप संख्या 1 एवं 2 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या 3, 4 एवं 5 को अप्रमाणित पाया गया ।

अतः श्री उमेश कुमार, तदेन सहायक अभियंता को आरोप संख्या 1 एवं 2 के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(क) के तहत निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) आरोप वर्ष 2012–13 के लिये निन्दन की सजा, जो आरोप वर्ष 2012–13 को छोड़कर अगले तीन वर्षों यथा– 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 तक प्रभावी होगा।

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

---

19 जनवरी 2015

सं० 3/अ०प्र०–3–9/11–214––पटना जिलान्तर्गत फतुहा सैदपुर चौक से चंडासी पथ में अनियमितता के संबंध में श्री जितेन्द्र प्रसाद आर्य, ग्राम–चकबिहरी, जिला– पटना से प्राप्त परिवाद पर विभाग द्वारा जाँच करायी गयी। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री अशोक कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना को अनियमितता के लिए दोषी मानते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या– 7478 दिनांक 07.06.2011 द्वारा निलंबित किया गया।

2. श्री सिंह द्वारा विभागीय निलंबनादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका C.W.J.C. No.- 9379/2011 एवं I.A. No. 3983/2011 दायर किया गया। दिनांक 13.06.2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निलंबनादेश को स्थगित करने का न्यायादेश पारित किया गया। पुनः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मामले के नियमित सुनवाई के क्रम में दिनांक 02.08.2011 को पारित न्यायादेश में श्री सिंह के स्पष्टीकरण की समीक्षा करते हुए उनके विरूद्ध अग्रेतर कार्रवाई करने तथा इनके निलंबन को बरकरार रखने का आदेश दिया गया।

3. श्री सिंह द्वारा विभाग को एक आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा L.P.A. संख्या 1596/2011 में दिनांक 25.10.2011 को पारित न्यायादेश की प्रति के साथ समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा अपने को निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

4. विभागीय संकल्प संख्या– 18360 दिनांक 22.11.2011 द्वारा श्री अशोक कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाए जाने का आदेश हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को नामित किया गया। संचालन पदाधिकारी से उनके पत्रांक 565 दिनांक 05.07.2012 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ।

5. श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा पुनः याचिका C.W.J.C. No.- 17994/2012 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 08.10.2012 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अविलंब L.P.A. No. 1596/2011 में दिनांक 25.10.2011 को पारित न्यायादेश का अनुपालन करने का निदेश दिया गया।

6. विभागीय जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विस्तृत समीक्षा के आधार पर श्री सिंह को अधिसूचना सं०– 16645 दिनांक 12.10.2012 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया। तत्पश्चात् उनके विरूद्ध अधिरोपित किये जाने वाले दण्ड की प्रकृति पर विचार करने से पूर्व उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग आरोप सं०–1 एवं आरोप सं०–10 के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 17778 दिनांक 07.11.2012 द्वारा की गयी। इसके अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पटना को फतुहा–चंडासी पथ में जाँच प्रतिवेदन में पायी गयी त्रुटियों के निराकरण कार्य का सत्यापन करने का निदेश विभागीय पत्रांक 17777 दिनांक 07.11.2012 द्वारा दिया गया।

7. श्री अशोक कुमार सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा एवं अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पटना से प्राप्त सत्यापन जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध आरोप प्रमाणित मानते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के 14(i) एवं 14(vi) के तहत विभागीय अधिसूचना सं०–18915 सह–पठित ज्ञापांक 18916 दिनांक 04.12.2012 द्वारा निंदन एवं संचयात्मक रूप से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया।

8. C.W.J.C. No. 17994/2012 में दिनांक 11.01.2013 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश में विभागीय अधिसूचना सं०– 18915 सह–पठित ज्ञापांक 18916 दिनांक 04.12.2012 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध प्रदत दंड को निरस्त कर दिया गया।

9. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा L.P.A. दायर किया गया है, जिसका टोकन सं० 11453/2013 है। विभाग द्वारा दायर L.P.A. माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

10. इसी बीच श्री सिंह द्वारा C.W.J.C. No. - 17994/2012 में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु विभाग को अभ्यावेदन दिया गया। विभाग द्वारा समीक्षोपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं श्री सिंह द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के आलोक में श्री अशोक कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल–1, पटना के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं०– 18915 सह–पठित ज्ञापांक 18916 दिनांक 04.12.2012 द्वारा प्रदत्त दंड को इस शर्त के साथ निरस्त किया जाता है कि यह विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर L.P.A. में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

---

20 जनवरी 2015

सं० 3 अ0प्र0–1–407/2013–237––श्री विष्णुदेव महतो, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी(पूर्णिया) द्वारा कार्य प्रमंडल, वायसी के पदस्थापन काल में आपदा के समय भी बगैर अनुमति के अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के संबंध में विभागीय पत्रांक 2737 दिनांक 13.08.2014 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री महतो से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोंपरांत यह पाया गया कि इनके द्वारा स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है। तदनुसार जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा प्रेषित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

अतः उक्त आलोक में समीक्षोपंरात श्री विष्णुदेव महतो, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी(पूर्णिया) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका 14(i) के तहत निंदन की शास्ति अधिरोपित की जाती है, जो आरोप वर्ष 2014–15 को छोड़कर अगले तीन वर्षो तक प्रभावी होगा।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

आदेश

28 जनवरी 2015

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 50/2014–55 नि०गो०––उप–सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक 03.05.2014 को पशु चिकित्सालय, बेनीपट्टी, मधुबनी का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें डा0 प्रभात कुमार मिश्रा, भ्र0प0चि0 पदाधिकारी , बेनीपट्टी, मधुबनी कर्त्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए।

उक्त के लिए विभागीय पत्रांक–360 नि0गो0, दिनांक 27.05.2014 के द्वारा डा0 मिश्रा से पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में डा0 मिश्रा के पत्रांक–59 दिनांक 07.06.2014 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण में डा0 मिश्रा के द्वारा उक्त अनुपस्थिति का कारण दिनांक 02.05.2014 से 03.05.2014 तक उनका आकस्मिक अवकाश में होना बतलाया गया।

उक्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी एवं समीक्षा में पाया गया कि डा0 प्रभात कुमार मिश्रा के द्वारा मात्र अवकाशावेदन देकर जिसकी स्वीकृति नियंत्री पदाधिकारी के स्तर से नहीं की गयी थी, अवकाश हेतु प्रस्थान किया गया था। अतएव सम्यक विचारोपरान्त डा0 मिश्रा के स्पष्टीकरण को स्वीकार्य योग्य नहीं पाते हुए उनकी दिनांक 02.05.2014 से 03.05.2014 तक की अनुपस्थिति–अवधि को अर्जितावकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हुए भविष्य के लिए चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में डा0 प्रभात कुमार मिश्रा, भ्र0प0चि0 पदाधिकारी, बेनीपट्टी, मधुबनी को उनकी दिनांक 02. 05.2014 से 03.05.2014 तक की अनुपस्थिति–अवधि को अर्जितावकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हुए भविष्य के लिए चेतावनी दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

28 जनवरी 2015

सं0 5 नि0गो0वि0 (5) 34/2014–**56–नि०गो०**—उपाधीक्षक पशुगणना, पशुपालन निदेशालय बिहार, पटना के द्वारा दिनांक 08.03.2014, दिन शनिवार को प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, चौगाई, बक्सर का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें डा0 दिनकर कुमार, भ्र0प0चि0 पदाधिकारी कर्त्तव्य से अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के समय कार्यालय में उपस्थित कर्मी द्वारा डा0 कुमार का उक्त चिकित्सालय में रोस्टर ड्यूटी सोमवार एवं वृहस्पतिवार बतलाया गया तथा उनका पदस्थापन प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, कोरानसराय, बक्सर बतलाया गया । तत्पश्चात् निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, कोरानसराय, बक्सर का निरीक्षण किया गया जिसमें भी डा0 कुमार कर्त्तव्य से अनुपस्थित पाए गए।

उक्त के लिए विभागीय पत्रांक–323 नि0गो0 दिनांक 21.05.2014 के द्वारा डा0 कुमार से पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में डा0 कुमार के पत्रांक–33 दिनांक 31.05.2014 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण में डा0 कुमार द्वारा उक्त अनुपस्थिति का कारण आकस्मिक अवकाश में होना बतलाया गया।

उक्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत डा0 कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार्य योग्य नहीं पाते हुए उनकी उक्त अनुपस्थिति अवधि को अर्जितावकाश के रूप में सामंजन करते हुए चेतावनी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में डा0 दिनकर कुमार, भ्र0प0चि0 पदाधिकारी, कोरानसराय, बक्सर को उनकी दिनांक 08.03.2014 की अनुपस्थिति अवधि को अर्जितावकाश के रूप में सामंजन करते हुए चेतावनी प्रदान की जाती है।

आदेश से,

ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

सं0 5 नि0गो0वि0 (8) 05/2014–**37नि०गो०**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

संकल्प

21 जनवरी 2015

श्री विनोद कुमार, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) संप्रति जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, लखीसराय के विरूद्ध बकाएदार तदर्थ मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड भभुआ के साथ बंदोबस्ती करने के आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–440 दिनांक 05.03.2013 के द्वारा विहित प्रपत्र 'क' में आरोप गठित करते हुए बचाव अभिकथन की माँग की गयी।

2. उक्त आलोक में श्री कुमार द्वारा बचाव बयान दिनांक 19.03.2013 को समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा आनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत श्री कुमार के बचाव बयान को असंतोषप्रद पाते हुए विभागीय संकल्प–995 दिनांक 03.06.2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। कालांतर में श्री प्रसाद के सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप श्री प्रसाद के स्थान पर विभागीय संकल्प–201 नि0गो0, दिनांक 31.03.2014 के द्वारा श्री अमिताभ सिंह, उपाधीक्षक पशुगणना, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को अंशतः प्रमाणित पाया गया।

3. जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाए गए आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–650 नि0गो0, दिनांक 17.09.2014 के द्वारा श्री विनोद कुमार से द्वितीय लिखित अभिकथन की माँग की गयी। उक्त आलोक में श्री कुमार के द्वारा द्वितीय लिखित अभिकथन पत्रांक–618/मत्स्य दिनांक 20.09.2014 द्वारा समर्पित किया गया।

4. आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय लिखित अभिकथन की सरकार द्वारा समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि श्री कुमार द्वारा बकायेदार समिति से बकाया की राशि वसूल की जा चुकी है। अतएव सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा श्री विनोद कुमार को सचेष्ट करते हुए अरोप–मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री विनोद कुमार, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक, पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) सम्प्रति जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, लखीसराय को सचेष्ट करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है एवं श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 50–571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in